# PPI धारकों को UPI लेनदेन की सुविधा

**स्रोत: द हिंदू**

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने नियमों में **संशोधन करके पूर्ण** केवाईसी प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट (PPI) **धारकों को थर्ड पार्टी UPI ऐप के माध्यम से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** लेनदेन की अनुमति दी है।

- **उद्देश्य: डिजिटल वॉलेट और गिफ्ट कार्ड** के उपयोगकर्त्ताओं जैसे **PPI धारकों को फोनपे, गूगल पे और पेटीएम** जैसे **थर्ड पार्टी ऐप** के माध्यम से UPI भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति देना, जो केवल जारीकर्त्ता के ऐप तक ही सीमित थे।
- **इसका उद्देश्य अनुकूलन, ग्राहक संतुष्टि तथा उपयोग में आसानी बढ़ाना तथा डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।**
- PPI: PPI, डिजिटल वॉलेट और भुगतान उपकरण हैं जो उपयोगकर्त्ताओं को उन पर लोड किये गए पैसों का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने तथा धन हस्तांतरण करने के साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने प्रदान करते हैं।
- भारत में बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा 1.14 बिलियन से अधिक PPI जारी किये गए हैं।
- UPI: यह मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए NPCI द्वारा विकसित एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है।
- वर्ष 2023-24 में भारत के डिजिटल लेनदेन में UPI की हिस्सेदारी 70% रही।
- अक्तूबर 2024 में UPI द्वारा **16.58 बिलियन लेनदेन** के माध्यम से **23.49 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन किया** गया, जो वर्ष 2023 **से 45% की वृद्धि दर्शाता** है।
- भारत सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **यूपीआई** और रुपे कार्ड को बढ़ावा दे रही है ।

**और पढ़ें:** UPI भुगतान: उपयोगकर्त्ताओं का सशक्तीकरण, बैंकों को चुनौती

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/upi-transactions-enabled-for-ppi-holders